न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :— यू0डी0खान
आई.ए.एस.

अपील संख्या 171/2020

नेकीराम पुत्र मामराज, जाति जाट निवासी शेखसर, तहसील व जिला झुंझुनूं (राज0)
—— अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं।
2. गिरधारी दत्तक पुत्र बीरबल, जाति जाट, निवासी शेखसर, तहसील व जिला झुंझुनूं।
3. सुरेश कुमार पुत्र किशनाराम, जाति जाट, निवासी शेखसर, तहसील व जिला झुंझुनूं।
4. [illegible] पुत्र खमारात, जाति जाट, निवासी शेखसर, तहसील व जिला झुंझुनूं।

—— रेस्पोडेन्ट

——

अपील बखिलाफ आदेश तहसीलदार, झुंझुनूं आदेश दिनांक 08.07.2020 कमांक [illegible]/2020/1102—1104 व आदेश दिनांक 21.07.2020 कमांक सम/2020/1190—1192

——

उपस्थित
1. श्री विनोद कुमार गिल, एडवोकेट, अपीलांट की ओर से
2. श्री राजेश पूनिया, एडवोकेट— रेस्पोडेन्ट सं0 2 लगायत 4 की ओर से
3. श्री [illegible] कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक— रेस्पोडेन्ट सं0 1 की ओर से

आदेश

दिनांक 07.04.2021

उक्त [illegible] अपील विद्वान तहसीलदार झुंझुनूं के आदेश दिनांक 08.07.2020 कमांक [illegible]/1102—1104 व आदेश दिनांक 21.07.2020 कमांक सम/2020/1190—1192 के [illegible] स्थगन के प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में अपीलार्थी की ओर से अपील नीचे लिखे [illegible] कि आदेश अदालत मातहत दिनांक 08.07.2020 व दिनांक 21.07.2020 खिलाफ [illegible] है। अदालत मातहत ने अपीलार्थी के विरूद्ध मनमर्जी से अवैध आदेश पारित कर [illegible] आदेश की पालना मे अपीलार्थी के खेत मे से रास्ता कायम कर दिया। उक्त आदेश [illegible] अपीलार्थी को ना तो कोई नोटिस दिया गया ना ही कोई सुनवाई का मौका दिया [illegible] मातहत ने न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्त की अवहेलना की है। अदालत मातहत का [illegible] आदेश नही है। राजनैतिक दबाव मे मनमर्जी से पारित किया आदेश है। अदालत [illegible] (Rule of Law) का पालन नही किया है। Due Proces of Law का पालन नही किया है [illegible] आदेश अवैध है। उक्त अवैध आदेश की आड मे अपीलार्थी के खेत मे जबरदस्ती [illegible] कर दिया तथा अपीलार्थी को धारा 151 जा0[illegible] कर दिया तथा 122 जा0फौ0 [illegible] करने की धमकी दे रहे है। [illegible] जिसके लिए मियाद नियत [illegible] अपील पेशकर निवेदन है कि [illegible] अदालत मातहत

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.04.15 11:27:10 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार झुंझुनू का आदेश दिनांक 08.07.2020 व आदेश दिनांक 21.07.2020 को निरस्त किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावृत्ति की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत ने अपीलार्थी के विरूद्ध मनमर्जी से अवैध आदेश पारित कर दिया तथा उस आदेश की पालना में अपीलार्थी के खेत में से रास्ता कायम कर दिया। उक्त आदेश पारित करते समय अपीलार्थी को ना तो कोई नोटिस दिया गया ना ही कोई सुनवाई का मौका दिया गया। अदालत मातहत ने न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त की अवहेलना की है। अदालत मातहत का आदेश स्पीकिंग आदेश नहीं है। राजनैतिक दबाब में मनमर्जी से पारित किया आदेश है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत का आदेश दिनांक 08.07.2020 व आदेश दिनांक 21.07.2020 को निरस्त किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 ने वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अपील अपीलान्ट प्रशासनिक आदेश की अपील में आये है न कि न्यायिक आदेश की अपील में। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 खातेदार है, जिनके खेत विवादित भूमि के आगे लगते है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 प्रभावित पक्षकार भी है। रास्ता पुराना है, जिसे खोलने के लिए नोटिस दिये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपील अपीलान्ट सारहीन है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट के तर्को का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट द्वारा जिस आदेश के विरूद्ध अपील की गई है वह आदेश की परिधि में ही नहीं आता है। अपीलान्ट को इस संबंध में अपील करने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलान्ट की अपील निराधार व सारहीन है, जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील अपीलान्ट पर बगौर मनन किया। अदालत मातहत ने भूमि खसरा नम्बर 412 ग्राम शेखसर से होकर जाने वाले प्रचलित रास्ता जो कुमास से नान्द की ओर जाता है पर अपीलान्ट द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाया है। जिसके संबंध में अपीलान्ट का तर्क है कि अदालत मातहत ने अपीलान्ट की खातेदारी भूमि में से बिना उसे सुनवाई का अवसर दिये तथा विधि के प्रावधान से हटकर रास्ता कायम किया है। अपीलान्ट द्वारा प्रचलित रास्ते से अतिक्रमण हटाने की कि गई कार्यवाही फर्द मौका दिनांक 21.07.2020 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है। उक्त फर्द में साफ अंकन है कि मौका पर प्रचलित रास्ते को अवरूद्ध किया गया है। रिकार्ड मातहत पर उपलब्ध अन्य मौका फर्द दिनांक 16.05.2020 तथा 28.05.2020 से साफ जाहिर है उक्त प्रचलित रास्ते को बार – बार अवरोध उत्पन्न कर बन्द किया गया है। जिसकी जानकारी अपीलान्ट को रही है। प्रचलित रास्ते पर अनावश्यक रूप से बाधा कारित कर उसे अवरूद्ध करना विधि विरूद्ध है। अदालत मातहत द्वारा मौके पर प्रचलित रास्ते में किये गये अवरोध को हटाया है जो नियमानुसार की गई कार्यवाही है। अपीलान्ट की अपील में कोई फोर्स नहीं है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 07.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.04.15 11:27:10 IST
Reason: SelfAttested

07/04/21

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर
जिला कलक्टर झुन्झुनूं
झुंझुनू